Naveen Shodh Sansar (An International Refereed / Peer Review Multidisciplinary Research Journal)
RNI No.- MPHIN/2013/60638, ISSN 2320-8767, E- ISSN 2394-3793, Scientific Journal Impact Factor (SJIF)- 8.054,
April to June 2026, E-Journal, Vol. I, Issue LIV (54), ISO 9001:2015 - E2024049304 (QMS)

समावेशी विकास में स्टैंड-अप इंडिया योजना की भूमिका: एक मूल्यांकनात्मक अध्ययन

डॉ. दीपक कुमार राणा*

* सहायक प्राध्यापक (अर्थशास्त्र) टी.पी. कॉलेज, मधेपुरा (बिहार) भारत

शोध सारांश – समावेशी विकास समकालीन विकास विमर्श की एक महत्वपूर्ण अवधारणा है जिसका उद्देश्य आर्थिक विकास के लाभों को समाज के सभी वर्गों तक पहुँचाना है। भारत में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा महिलाओं की उद्यमिता में सीमित भागीदारी लंबे समय से चिंता का विषय रही है। इस चुनौती के समाधान हेतु भारत सरकार ने 5 अप्रैल 2016 को स्टैंड-अप इंडिया योजना प्रारम्भ की। योजना का उद्देश्य प्रत्येक अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक शाखा द्वारा कम से कम एक अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति तथा एक महिला उद्यमी को रू10 लाख से रू1 करोड़ तक का ऋण प्रदान करना था। प्रस्तुत अध्ययन का उद्देश्य समावेशी विकास में स्टैंड-अप इंडिया योजना की भूमिका का मूल्यांकन करना है। अध्ययन द्वितीयक आँकड़ों एवं सरकारी रिपोर्टों पर आधारित है। निष्कर्षों से ज्ञात होता है कि योजना ने वित्तीय समावेशन, महिला उद्यमिता, अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति समुदाय के आर्थिक सशक्तिकरण तथा रोजगार सृजन में महत्वपूर्ण योगदान दिया। मार्च 2025 तक योजना के अंतर्गत लगभग 2.75 लाख ऋण खाते स्वीकृत किए गए तथा रू62,790 करोड़ से अधिक की राशि स्वीकृत की गई। अध्ययन निष्कर्ष निकालता है कि स्टैंड-अप इंडिया योजना समावेशी विकास को बढ़ावा देने वाली एक प्रभावी सार्वजनिक नीति रही है।

शब्द कुंजी – समावेशी विकास, स्टैंड-अप इंडिया योजना, महिला उद्यमिता, वित्तीय समावेशन, सशक्तिकरण, रोजगार सृजन।

प्रस्तावना – भारत की आर्थिक प्रगति के बावजूद सामाजिक एवं आर्थिक असमानताएँ लंबे समय से विद्यमान रही हैं। विशेष रूप से अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा महिलाओं को उद्यम स्थापना हेतु वित्तीय संसाधनों तक पहुँच प्राप्त करने में कठिनाइयों का सामना करना पड़ता था। वित्तीय संस्थानों की कठोर प्रक्रियाएँ, संपार्श्विक कि कमी तथा उद्यमिता संबंधी प्रशिक्षण का अभाव इन वर्गों के आर्थिक विकास में बाधक रहा है।

समावेशी विकास वह प्रक्रिया है जिसमें आर्थिक विकास के लाभ समाज के सभी वर्गों तक पहुँचते हैं। किसी भी राष्ट्र की प्रगति तभी सार्थक मानी जाती है जब विकास का लाभ सामाजिक एवं आर्थिक रूप से पिछड़े वर्गों को भी प्राप्त हो। भारत जैसे विकासशील देश में आर्थिक असमानता, बेरोजगारी, गरीबी तथा वित्तीय बहिष्करण लंबे समय से प्रमुख चुनौतियाँ रही हैं। उद्यमिता आर्थिक विकास का एक महत्वपूर्ण साधन है। उद्यमिता से न केवल आय में वृद्धि होती है, बल्कि रोजगार सृजन, नवाचार तथा क्षेत्रीय विकास को भी गति मिलती है। किंतु सामाजिक रूप से वंचित वर्गों, विशेषकर अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति समुदायों तथा महिलाओं के लिए व्यवसाय प्रारंभ करना सरल नहीं रहा है। वित्तीय संसाधनों की कमी, बैंक ऋण तक सीमित पहुँच तथा उद्यमिता संबंधी मार्गदर्शन के अभाव के कारण इन वर्गों की आर्थिक भागीदारी अपेक्षाकृत कम रही है। भारत सरकार द्वारा समावेशी विकास को बढ़ावा देने के लिए अनेक योजनाएँ संचालित की जा रही हैं। इसी पृष्ठभूमि में भारत सरकार ने 5 अप्रैल 2016 को स्टैंड-अप इंडिया योजना प्रारंभ की। यह योजना सामाजिक न्याय एवं आर्थिक समानता को बढ़ावा देने के साथ-साथ समावेशी विकास के लक्ष्य को प्राप्त करने का एक महत्वपूर्ण प्रयास है।

आर्थिक विकास तभी सार्थक माना जाता है जब उसके लाभ समाज के सभी वर्गों तक पहुँचें। केवल सकल घरेलू उत्पाद में वृद्धि समावेशी विकास की गारंटी नहीं देती। यदि विकास प्रक्रिया में सामाजिक रूप से वंचित वर्गों, महिलाओं तथा कमजोर समुदायों की भागीदारी सीमित रहे तो विकास असमान और असंतुलित हो जाता है।

भारत में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं महिलाओं को उद्यम स्थापना हेतु पूँजी, प्रशिक्षण तथा संस्थागत सहायता प्राप्त करने में ऐतिहासिक कठिनाइयों का सामना करना पड़ा है। इस पृष्ठभूमि में स्टैंड-अप इंडिया योजना को एक समावेशी वित्तीय पहल के रूप में प्रारम्भ किया गया। योजना का मूल उद्देश्य उद्यमिता को सामाजिक न्याय तथा आर्थिक अवसरों से जोड़ना था।

साहित्य समीक्षा

Shivakumar (2020) ने Stand-Up India Scheme की संभावनाओं एवं चुनौतियों का अध्ययन किया। अध्ययन में पाया गया कि यह योजना महिलाओं तथा अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति उद्यमियों को संस्थागत ऋण उपलब्ध कराने का महत्वपूर्ण माध्यम है, किन्तु सूचना के अभाव, बैंकिंग प्रक्रियाओं की जटिलता तथा मार्गदर्शन की कमी जैसी चुनौतियाँ इसकी प्रभावशीलता को प्रभावित करती हैं।

Kaur and Arora (2025) ने पंजाब एवं भारत के अन्य राज्यों की तुलना करते हुए स्टैंड-अप इंडिया योजना की प्रभावशीलता का मूल्यांकन किया। अध्ययन में पाया गया कि योजना ने महिलाओं तथा अनुसूचित

जाति/अनुसूचित जनजाति उद्यमियों को संस्थागत ऋण उपलब्ध कराने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। शोधकर्ताओं ने निष्कर्ष निकाला कि योजना ने उद्यमिता विकास, वित्तीय समावेशन तथा आर्थिक सशक्तिकरण को बढ़ावा दिया, यद्यपि विभिन्न राज्यों में इसके प्रभाव का स्तर भिन्न-भिन्न रहा।

Verma, Bajpai एवं Singh (2024) ने स्टैंड-अप इंडिया योजना की भूमिका का विश्लेषण महिलाओं तथा अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति उद्यमियों के सशक्तिकरण के संदर्भ में किया। अध्ययन में बताया गया कि 2016 में प्रारम्भ की गई यह योजना रू10 लाख से रू1 करोड़ तक के ऋण उपलब्ध कराकर महिलाओं एवं अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति वर्ग के प्रथम पीढ़ी के उद्यमियों को नए (Greenfield) उद्यम स्थापित करने हेतु प्रोत्साहित करती है।

Sharma और Annu (2018) ने Startup India एवं Stand-Up India पहलों का अध्ययन करते हुए पाया कि इन योजनाओं का उद्देश्य उद्यमिता को प्रोत्साहित करना, स्वरोजगार के अवसर बढ़ाना तथा युवाओं को व्यवसाय स्थापना के लिए प्रेरित करना है। अध्ययन के अनुसार सरकारी पहलें उद्यमशील वातावरण के निर्माण और रोजगार सृजन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं।

उपरोक्त अध्ययनों के आधार पर यह निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि स्टैंड-अप इंडिया योजना ने वित्तीय समावेशन, महिला सशक्तिकरण एवं सामाजिक न्याय को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण योगदान दिया है।

शोध-अंतराल - पूर्ववर्ती अध्ययनों में स्टैंड-अप इंडिया योजना के अंतर्गत महिला उद्यमिता, वित्तीय समावेशन तथा उद्यम विकास के विभिन्न पक्षों का विश्लेषण किया गया है। तथापि अधिकांश अध्ययन किसी एक विशेष आयाम तक सीमित रहे हैं। उपलब्ध साहित्य में समावेशी विकास के व्यापक परिप्रेक्ष्य में योजना के योगदान का समग्र मूल्यांकन अपेक्षाकृत कम दिखाई देता है। विशेष रूप से 2016-2025 की अवधि में योजना द्वारा महिला उद्यमिता, अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति आर्थिक सशक्तिकरण, वित्तीय समावेशन तथा रोजगार सृजन पर पड़े संयुक्त प्रभाव का अध्ययन सीमित है। प्रस्तुत अध्ययन इस शोध-अंतराल को भरने का प्रयास करता है तथा समावेशी विकास के बहुआयामी ढाँचे के भीतर स्टैंड-अप इंडिया योजना की भूमिका का मूल्यांकन करता है।

अध्ययन के उद्देश्य:

i. समावेशी विकास की अवधारणा का विश्लेषण करना।
ii. स्टैंड-अप इंडिया योजना की संरचना एवं उद्देश्यों का अध्ययन करना।
iii. योजना के माध्यम से वित्तीय समावेशन पर पड़े प्रभाव का मूल्यांकन करना।
iv. महिला एवं अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति उद्यमियों के सशक्तिकरण में योजना की भूमिका का परीक्षण करना।
v. समावेशी विकास में योजना के योगदान का विश्लेषण करना।

अनुसंधान पद्धति- यह अध्ययन वर्णनात्मक एवं विश्लेषणात्मक प्रकृति का है। अध्ययन का उद्देश्य स्टैंड-अप इंडिया योजना के प्रदर्शन तथा समावेशी विकास में उसके योगदान का मूल्यांकन करना है। यह अध्ययन द्वितीयक आँकड़ों पर आधारित है। अनुसंधान हेतु वित्त मंत्रालय, वित्तीय सेवा विभाग, प्रेस सूचना ब्यूरो (PIB), संसद में प्रस्तुत आँकड़ों तथा संबंधित साहित्य का उपयोग किया गया है।

शोध परिकल्पनाएँ

H0: स्टैंड-अप इंडिया योजना ने समावेशी विकास को सकारात्मक रूप से प्रभावित नहीं किया है। H1: स्टैंड-अप इंडिया योजना ने समावेशी विकास को सकारात्मक रूप से प्रभावित किया है।

समावेशी विकास: अवधारणा एवं महत्व - समावेशी विकास का आशय ऐसी विकास प्रक्रिया से है जिसमें समाज के सभी वर्गों को समान अवसर प्राप्त हों तथा विकास के लाभों का न्यायसंगत वितरण हो। विश्व बैंक, संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम तथा विभिन्न अर्थशास्त्रियों ने समावेशी विकास के प्रमुख तत्वों के रूप में निम्नलिखित बिंदुओं को रेखांकित किया है। आर्थिक अवसरों तक समान पहुँच वित्तीय समावेशन रोजगार सृजन सामाजिक न्याय लैंगिक समानता कमजोर वर्गों का सशक्तिकरण इसी संदर्भ में स्टैंड-अप इंडिया योजना को समावेशी विकास के एक व्यवहारिक उपकरण के रूप में देखा जा सकता है।

स्टैंड-अप इंडिया योजना का परिचय- स्टैंड-अप इंडिया योजना भारत सरकार द्वारा 5 अप्रैल 2016 को प्रारम्भ की गई एक प्रमुख वित्तीय समावेशन एवं उद्यमिता प्रोत्साहन योजना है। इस योजना का उद्देश्य अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा महिला उद्यमियों को ग्रीनफील्ड (नए) उद्यमों की स्थापना हेतु रू 10 लाख से रू 1 करोड़ तक का संस्थागत ऋण उपलब्ध कराना था। योजना का मूल लक्ष्य उद्यमिता के माध्यम से सामाजिक एवं आर्थिक रूप से वंचित वर्गों को मुख्यधारा की अर्थव्यवस्था से जोड़ना तथा समावेशी विकास को बढ़ावा देना था। योजना के अंतर्गत विनिर्माण, सेवा, व्यापार तथा कृषि से संबंधित सहायक गतिविधियों के लिए ऋण प्रदान किया जाता है। प्रत्येक अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक शाखा को कम-से-कम एक अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति तथा एक महिला उद्यमी को ऋण उपलब्ध कराने का लक्ष्य निर्धारित किया गया था। इस प्रकार योजना केवल वित्तीय सहायता तक सीमित न रहकर सामाजिक न्याय एवं आर्थिक अवसरों की समानता को भी प्रोत्साहित करती है।

योजना का प्रदर्शन

तालिका 1: स्टैंड-अप इंडिया योजना की समग्र उपलब्धियाँ (योजना के आरंभ से मार्च 2025 तक)

वर्ग	खाते की संख्या (31-03-2025)	स्वीकृत राशि (राशि करोड़ में)
अनुसूचित जाति	52902	11168.15
अनुसूचित जनजाति	16991	3612.84
महिलाएं	205398	48009.47
कुल	275291	62790.47

स्रोत: Ministry of Finance, Government of India, Rajya Sabha Unstarred Question No. 2964 (2025).

योजना के प्रारम्भ से मार्च 2025 तक कुल 2,75,291 ऋण खाते स्वीकृत किए गए तथा रू62,790.47 करोड़ की राशि स्वीकृत की गई। यह दर्शाता है कि योजना ने समाज के वंचित वर्गों को उद्यमिता के माध्यम से आर्थिक मुख्यधारा में जोड़ने का महत्वपूर्ण कार्य किया है।

क्षेत्रवार विश्लेषण

तालिका 2: क्षेत्रवार ऋण खाते एवं स्वीकृत राशि (योजना के आरंभ से मार्च 2025 तक)

क्षेत्र	ऋण खाते	स्वीकृत राशि (रू करोड़)
व्यापार	95,851	20,239.18
सेवा क्षेत्र	89,914	20,102.80
विनिर्माण	68,75	18,026.91
कृषि एवं सहायक गतिविधियाँ	20,775	4,421.58
कुल	2,75,291	62,790.47

स्रोत: Rajya Sabha Unstarred Question No. 2964, Ministry of Finance, Government of India (2025).

व्यापार क्षेत्र में सर्वाधिक 95,851 ऋण खाते स्वीकृत किए गए तथा रू20,239.18 करोड़ की राशि प्रदान की गई। यह दर्शाता है कि लाभार्थियों ने व्यापार आधारित उद्यमों में अधिक रुचि दिखाई। सेवा क्षेत्र क्षेत्र में 89,914 ऋण खाते तथा रू 20,102.80 करोड़ की राशि स्वीकृत की गई। यह सेवा-आधारित उद्यमिता के विकास को दर्शाता है। विनिर्माण क्षेत्र में 68,751 उद्यमों को रू18,026.91 करोड़ की सहायता प्रदान की गई। इससे उत्पादन आधारित गतिविधियों और रोजगार सृजन को प्रोत्साहन मिला। कृषि एवं संबद्ध गतिविधियों में 20,775 ऋण खाते स्वीकृत किए गए तथा रू 4,421.58 करोड़ की राशि प्रदान की गई। इससे ग्रामीण उद्यमिता को बढ़ावा मिला।

समावेशी विकास में स्टैंड-अप इंडिया योजना की भूमिका

वित्तीय समावेशन को बढ़ावा- भारत में कमजोर वर्गों की औपचारिक बैंकिंग सेवाओं तक पहुँच लंबे समय तक सीमित रही। स्टैंड-अप इंडिया योजना ने बैंकिंग संस्थानों और वंचित वर्गों के बीच की दूरी को कम किया। मार्च 2025 तक योजना के अंतर्गत लगभग 2.67 लाख से अधिक ऋण खाते स्वीकृत किए गए तथा रू 60,000 करोड़ से अधिक की राशि स्वीकृत की गई। इससे बड़ी संख्या में प्रथम-पीढ़ी के उद्यमी औपचारिक वित्तीय प्रणाली से जुड़े।

महिला उद्यमिता का विस्तार- योजना की सबसे महत्वपूर्ण उपलब्धि महिला उद्यमियों की बढ़ती भागीदारी रही। फरवरी 2025 तक लगभग 1.99 लाख महिला खातों को ऋण स्वीकृत किया गया। महिलाओं के खातों की संख्या 2018 के लगभग 55,644 से बढ़कर 2024 में 1,90,844 तक पहुँच गई। इसी अवधि में स्वीकृत ऋण राशि रू12,452 करोड़ से बढ़कर रू 43,984 करोड़ हो गई। महिला उद्यमिता में यह वृद्धि समावेशी विकास का महत्वपूर्ण संकेतक है क्योंकि इससे आर्थिक स्वतंत्रता, निर्णय क्षमता तथा सामाजिक प्रतिष्ठा में वृद्धि हुई।

अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति समुदाय का आर्थिक सशक्तिकरण- योजना का एक प्रमुख उद्देश्य अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति समुदाय को उद्यमिता के माध्यम से आर्थिक रूप से सशक्त बनाना था। नवंबर 2018 से नवंबर 2024 के बीच अनुसूचित जाति लाभार्थियों के खातों की संख्या 9,399 से बढ़कर 46,248 हो गई, जबकि ST खातों की संख्या 2,841 से बढ़कर 15,228 तक पहुँच गई। इसी अवधि में स्वीकृत ऋण राशि में भी कई गुना वृद्धि दर्ज की गई। इससे यह स्पष्ट होता है कि योजना ने सामाजिक रूप से वंचित समुदायों को उद्यमिता के माध्यम से आर्थिक अवसर उपलब्ध कराए।

रोजगार सृजन - योजना केवल ग्रीनफील्ड उद्यमों के लिए लागू की गई थी। अत: प्रत्येक स्वीकृत ऋण एक नए उद्यम की स्थापना का प्रतिनिधित्व करता है। इस तरह कुल 2,75,291 नए उद्यम स्थापित हुए। प्रत्येक उद्यम कम से कम एक स्वरोजगार तो उत्पन्न करता ही है।

इसलिए: न्यूनतम रोजगार = 2,75,291

यदि औसतन 3 व्यक्ति प्रति उद्यम कार्यरत मानें तो अनुमानित रोजगार = 2,75,291 × 3 = 8,25,873

मार्च 2025 तक 2,75,291 नए उद्यम स्थापित हुए, जिससे प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष रोजगार के अवसरों में वृद्धि हुई।

सामाजिक न्याय और समान अवसर- योजना ने उद्यमिता के क्षेत्र में सामाजिक न्याय की अवधारणा को मजबूत किया। बैंक शाखाओं को अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति और महिला उद्यमियों को ऋण देने के लिए प्रोत्साहित कर आर्थिक अवसरों के अधिक न्यायपूर्ण वितरण का प्रयास किया गया। इस प्रकार योजना ने सामाजिक समानता तथा आर्थिक लोकतंत्रीकरण को बढ़ावा दिया।

शोध परिकल्पना का परीक्षण

H0: स्टैंड-अप इंडिया योजना ने समावेशी विकास को सकारात्मक रूप से प्रभावित नहीं किया है।

H1: स्टैंड-अप इंडिया योजना ने समावेशी विकास को सकारात्मक रूप से प्रभावित किया है।

परीक्षण- समावेशी विकास के प्रमुख संकेतकों कृमहिला उद्यमिता, अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति सशक्तिकरण, वित्तीय समावेशन तथा रोजगार सृजनकृका विश्लेषण किया गया।

अध्ययन में पाया गया कि:

1. 74.61% लाभार्थी महिलाएँ थीं।
2. 69,893 अनुसूचित जातिध्अनुसूचित जनजाति उद्यमियों को लाभ प्राप्त हुआ।
3. रू62,790.47 करोड़ की संस्थागत वित्तीय सहायता प्रदान की गई।
4. 2,75,291 नए उद्यम स्थापित हुए।
5. योजना का लाभ व्यापार, सेवा क्षेत्र, विनिर्माण तथा कृषि सभी क्षेत्रों में पहुँच।

निर्णय - उपलब्ध आधिकारिक आँकड़ों के विश्लेषण से स्पष्ट है कि योजना ने आर्थिक अवसरों का विस्तार किया, सामाजिक रूप से वंचित वर्गों को उद्यमिता से जोड़ा तथा वित्तीय समावेशन को बढ़ावा दिया। इसलिए शून्य परिकल्पना (H0) अस्वीकार की जाती है तथा वैकल्पिक परिकल्पना (H1) स्वीकार की जाती है।

अध्ययन के निष्कर्ष - उपलब्ध आधिकारिक आँकड़ों के विश्लेषण के आधार पर अध्ययन से निम्नलिखित प्रमुख निष्कर्ष प्राप्त हुए:

योजना की व्यापक पहुँच: मार्च 2025 तक स्टैंड-अप इंडिया योजना के अंतर्गत कुल 2,75,291 ऋण खाते स्वीकृत किए गए तथा रू62,790.47 करोड़ की राशि स्वीकृत की गई।

महिला उद्यमिता को प्रोत्साहन: कुल लाभार्थियों में 2,05,398 महिलाएँ (74.61%) थीं, जो दर्शाता है कि योजना ने महिला उद्यमिता एवं आर्थिक आत्मनिर्भरता को बढ़ावा दिया।

अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति समुदाय का आर्थिक सशक्तिकरण: योजना के अंतर्गत 52,902 अनुसूचित जाति तथा 16,991 अनुसूचित जनजाति लाभार्थियों को ऋण सुविधा प्राप्त हुई। कुल 69,893 अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति उद्यमियों को संस्थागत वित्त उपलब्ध

कराया गया।

वित्तीय समावेशन में वृद्धि: योजना के माध्यम से लाखों प्रथम पीढ़ी के उद्यमियों को औपचारिक बैंकिंग प्रणाली से जोड़ा गया, जिससे वित्तीय समावेशन को बढ़ावा मिला।

रोजगार सृजन में योगदान: 2.75 लाख से अधिक ग्रीनफील्ड उद्यमों की स्थापना से प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष रोजगार अवसरों का सृजन हुआ।

क्षेत्रीय विविधता: योजना का लाभ केवल एक क्षेत्र तक सीमित नहीं रहा। व्यापार, सेवा क्षेत्र, विनिर्माण तथा कृषि एवं सहायक गतिविधियाँ सभी क्षेत्रों में उद्यम स्थापित हुए।

चुनौतियाँ– स्टैंड-अप इंडिया योजना के क्रियान्वयन में स्वीकृत एवं वितरित राशि के बीच अंतर एक महत्वपूर्ण चुनौती के रूप में उभरता है। इस स्थिति को नीचे दी गई तालिका में दर्शाया गया है।

तालिका 3 : स्वीकृत राशि तथा वितरित राशि (मार्च 2025 तक)

वित्तीय वर्ष	स्वीकृत राशि	वितरित राशि
2016-17	37875	33504
2017-18	33041	26039
2018-19	22224	15898
2019-20	20256	13483
2020-21	15616	10441
2021-22	19749	12259
2022-23	39907	19872
2023-24	39643	17374
2024-25 (जून 2024)	7152	2743

स्रोत: SIDBI; Lok Sabha Unstarred Question No. 2284 (05 August 2024).

तालिका से स्पष्ट है की योजना के अंतर्गत स्वीकृत की गई राशि और वितरित की गई राशि में हमेशा अंतर रहा। यद्यपि स्टैंड-अप इंडिया योजना ने महिला उद्यमिता, अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति सशक्तिकरण और वित्तीय समावेशन को प्रोत्साहित किया, फिर भी इसके प्रभावी क्रियान्वयन में कुछ प्रमुख चुनौतियाँ सामने आईं:

1. ग्रामीण क्षेत्रों में सीमित जागरूकता
2. दस्तावेजी प्रक्रियाओं की जटिलता
3. उद्यमिता प्रशिक्षण की कमी
4. ऋणोपरांत मार्गदर्शन का अभाव
5. कुछ क्षेत्रों में बैंकिंग सहायता की असमान उपलब्धता

निष्कर्ष – स्टैंड-अप इंडिया योजना भारत सरकार की एक महत्वपूर्ण वित्तीय समावेशन एवं उद्यमिता विकास योजना है, जिसका उद्देश्य महिलाओं तथा अनुसूचित जाति/जनजाति वर्ग के उद्यमियों को संस्थागत ऋण उपलब्ध कराना है। अध्ययन से स्पष्ट हुआ कि योजना ने न केवल उद्यमिता को बढ़ावा दिया, बल्कि सामाजिक एवं आर्थिक रूप से वंचित वर्गों को आर्थिक मुख्यधारा से जोड़ने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। मार्च 2025 तक 2.75 लाख से अधिक लाभार्थियों को रू 62,790.47 करोड़ की वित्तीय सहायता प्रदान की गई। महिलाओं की उच्च भागीदारी तथा अनुसूचित जातिध्अनुसूचित जनजाति समुदाय की उल्लेखनीय उपस्थिति इस योजना की समावेशी प्रकृति को प्रमाणित करती है। इसके अतिरिक्त विभिन्न आर्थिक क्षेत्रों में नए उद्यमों की स्थापना ने रोजगार सृजन एवं स्थानीय आर्थिक विकास को प्रोत्साहित किया।

अत: यह निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि स्टैंड-अप इंडिया योजना ने भारत में समावेशी विकास को सकारात्मक रूप से प्रभावित किया है तथा सामाजिक न्याय और आर्थिक सशक्तिकरण के लक्ष्यों की प्राप्ति में महत्वपूर्ण योगदान दिया है।

नीतिगत सुझाव – स्टैंड-अप इंडिया योजना ने अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा महिला उद्यमियों को स्वरोजगार और उद्यमिता के अवसर प्रदान किए हैं। सरकार ने 2026 के बजट में इस योजना को नए संस्करण मे लाने की घोषणा की है। इसलिए योजना को अधिक प्रभावी बनाने के लिए निम्न सुधार किए जा सकते हैं :

1. ग्रामीण एवं पिछड़े क्षेत्रों में व्यापक जन-जागरूकता अभियान चलाए जाएँ ताकि पात्र लाभार्थियों तक योजना की जानकारी पहुँच सके।
2. ऋण आवेदन एवं स्वीकृति प्रक्रिया को सरल, पारदर्शी तथा समयबद्ध बनाया जाए, जिससे नए उद्यमियों को अनावश्यक कठिनाइयों का सामना न करना पड़े।
3. जिला स्तर पर स्थानीय संसाधनों और मांग के अनुरूप परियोजनाओं को प्राथमिकता दी जाए, जिससे रोजगार सृजन और आर्थिक विकास को बढ़ावा मिले।
4. योजना के अंतर्गत स्थापित उद्यमों की नियमित निगरानी एवं मूल्यांकन किया जाए ताकि समस्याओं का समय पर समाधान हो सके।
5. महिला,SC एवं ST उद्यमियों के लिए विशेष बिजनेस इन्क्यूबेशन सेंटर और सहायता केंद्र स्थापित किए जाएँ।

संदर्भ ग्रंथ सूची :-

1. Department of Financial Services. (2025). *Stand-Up India Scheme progress report*. Ministry of Finance, Government of India. https://www.financialservices.gov.in/stand-india-scheme-supi
2. Press Information Bureau. 9 Years of Stand-Up India: Turning Aspirations into Achievements, 2025.
3. Ministry of Finance, Government of India. Stand-Up India Scheme Statistics and Performance Reports.
4. SIDBI. Stand-Up India Scheme Monitoring Reports.
5. Government of India. Parliamentary Questions and Replies on Stand-Up India Scheme.
6. Ministry of Finance, Government of India.
7. Department of Financial Services, Ministry of Finance, Government of India.
8. Press Information Bureau (PIB), Government of India.
9. Stand-Up Mitra Portal.
10. Lok Sabha Unstarred Question No. 2284, dated 05 August 2024.
11. NABARD Reports on Entrepreneurship Development.
12. MSME Annual Reports.
13. Kaur, L., & Arora, J. (2025). Evaluating the effectiveness of the Stand-Up India Scheme of the Government of India: Punjab versus rest of India. European Economic Letters, 15(2), 3856–3858. https://doi.org/10.52783/eel.v15i2.3220`

14. Verma, P., Bajpai, A., & Singh, V. (2024). Stand Up India Scheme: Empowering Women and SC/ST Entrepreneurs. Scientific Innovation Magazine, 2(3), 35–40.
15. Swati Sharma & Annu (2018). Startup India Stand Up India: A New Platform for Entrepreneurs. JETIR, 5(8)
16. Shivakumar, P. T. (2020). *Stand Up India (SUI) scheme: Opportunities and challenges.* Asian Journal of Development Matters, 14(1), 61–73. https://doi.org/10.5958/0976-4674.2020.00005.1

****